रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234994
CG-DL-E-08042022-234994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944
No. 277] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 291(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निमगन) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में,

(क) नियम 12 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि कंपनी के एक निधि के रूप में निगमित होने के मामले में, अधिनियम की धारा 406 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा घोषणा निधि को व्यवसाय आरंभ करने से पहले प्राप्त करनी होगी और इसके निमित्त में कंपनी द्वारा निगमन के समय एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।"

(ख) अनुलग्नक में,

(1) प्ररूप आईएनसी.20क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**प्ररूप सं. आईएनसी-20क** [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 23क और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 10क(1)(क) के अनुसार]	सत्यमेव जयते	**व्यवसाय की शुरूआत करने के लिए घोषणा**

प्ररूप की भाषा ***अंग्रेजी** ***हिंदी**

प्ररूप भरने के लिए निदेश किट देखें।

1. (क)*कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) (पूर्व पूरित)

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

2. (क) कंपनी का नाम

(ख) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

.....

(ग) कंपनी की ई-मेल आईडी

3. (क)*क्या कंपनी के मामलों को किसी क्षेत्रीय विनियामक (जैसे एनबीएफआई गतिविधियों के मामले में आरबीआई) द्वारा नियंत्रित किया जाता है Oहां Oनहीं

(ख)*विनियामक का नाम (निर्दिष्ट करें).....

'अन्य' निर्दिष्ट करें

(ग)*धारा 406 के तहत जारी घोषणा संख्या के पत्र संख्या/पंजीकरण संख्या/अधिसूचना संख्या और अनुमोदन/पंजीकरण की तारीख निर्दिष्ट करें

संलग्नक		**संलग्नकों की सूची**
1. *शेयरों के मूल्य के लिए भुगतान का अभिदत्त प्रमाण	**संलग्न करें**	
2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र (केवल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में)/अन्य नियामकों द्वारा	**संलग्न करें**	
3. निधि कंपनी के रूप में घोषणा की अधिसूचना	**संलग्न करें**	
4. वैकल्पिक संलग्नक (यदि कोई हो)		**संलग्नक हटाएं**

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प संख्या दिनांक द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए अधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की इस प्ररूप की विषय-वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

1. इस प्ररूप में और इसके संलग्नक में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय-वस्तु से संबंधित कोई सूचना सामग्री छुपाई नहीं गई है और कंपनी द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।

2. सभी आवश्यक संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं।

IndiaCode

3. एमओए के प्रत्येक अभिदत्त ने उसके द्वारा लिए जाने के लिए सहमत शेयरों के मूल्य का भुगतान किया है।

4. कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास अपने पंजीकृत कार्यालय के सत्यापन को धारा 12 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार फाइल किया है।

*डिजीटल रूप में हस्ताक्षरित किया जाना डीएससी बॉक्स

*निदेशक पहचान संख्या

अभ्यासरत पेशेवर द्वारा प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से विधिवत नियुक्त किया गया है। एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इस प्रपत्र से संबंधित नियमों को पढ़ लिया है और मैंने उपरोक्त विवरण (संलग्नक सहित) को कंपनी/आवेदक द्वारा अनुरक्षित मूल रिकॉर्डों से सत्यापित कर लिया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य, सही, और पूर्ण पाया गया है और इस प्रपत्र की कोई सूचना सामग्री छिपाई नहीं गई है।

- चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यासरत) या
- लागत लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यासरत) या
- कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यासरत)

*सहयोगी या साथी Oसहयोगी Oसाथी

*सदस्यता संख्या

*अभ्यास प्रमाणपत्र संख्या

टिप्पणः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमशः मिथ्या कथन/प्रमाणपत्र और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

संशोधित करें प्ररूप चैक करें संवीक्षा प्रस्तुत करें

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण की सत्यता के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा फाइल में रख दिया गया है।";

(2) प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (स्पाइस+) में, भाग-ख में, घोषणा के अंत में, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"¤ मैं आगे यह भी घोषणा करता हूं कि अधिनियम की धारा 406 के तहत जारी की गई घोषणा सहित केंद्र सरकार से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना कंपनी निधि के व्यवसाय को आरंभ नहीं करेगी।"।

[फा. सं. 1/13/2013-सीएल-V, खंड.IV]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि.250(अ), दिनांक 31 मार्च, 2014 *द्वारा* प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि.503(अ) दिनांक 22 जुलाई, 2021 *द्वारा* अंतिम बार संशोधित किए गए।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2022

G.S.R. 291(E).—In exercise of the powers conferred by section 10A read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement. _ (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014,

(a) in rule 12, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that in case of a Company being incorporated as a Nidhi, the declaration by the Central Government under section 406 of the Act shall be obtained by the Nidhi before commencing the business and a declaration in this behalf shall be submitted at the stage of incorporation by the company."

(b) In the Annexure,-

(1) for FORM No.INC.20A, the following Form shall be substituted, namely:-

FORM NO. INC-20A
[Pursuant to Section 10A(1)(a) of the Companies Act, 2013 and Rule 23A of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Declaration for commencement of business

Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.

1. *(a) Corporate identity number (CIN) of company
 (b) Global location number (GLN) of company
 Pre-fill
2. (a) Name of the company
 (b) Address of the registered office of the company
 (c) email ID of the company
3. (a) *Whether the affairs of the Company is regulated by any sectoral regulator (like RBI in case of NBFI activities)
 o Yes o No
 (b) *Specify the name of the regulator
 Specify 'others'
 (c) *Specify the letter number/registration number/ approval issued under section 406
 and date of approval/registration as the case may be

Attachments

(1) *Subscribers proof of payment for value of shares — Attach
(2) Certificate of Registration issued by the RBI (Only in case of Non-Banking Financial Companies)/ from other regulators) — Attach
(3) notification declaration as a Nidhi Company — Attach
(4) Optional attachment(s) (if any)

List of Attachments

Remove attachment

IndiaCode

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number * [] dated * [] to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that:

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.
3. Every subscriber to the MOA has paid the value for shares agreed to be taken by him.
4. The company has filed with the registrar a verification of its registered office as provided in subsection (2) of section 12.

***To be digitally signed by** Director DSC

*Director identification number []

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder relevant to this form and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

* ◯ Chartered accountant (in whole-time practice) or ◯ Cost accountant (in whole-time practice) or ◯ Company secretary (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow ◯ Associate ◯ Fellow

* Membership number []

*Certificate of practice number []

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company

(2) in FORM No.INC-32 (SPICe+), in Part-B, in Declaration, the following shall be inserted at the end, namely:-

"□ I further declare that the company shall not commence the business of Nidhi, unless all the required approvals including the declaration to be issued under section 406 of the Act have been obtained from the Central Government.".

[F. No. 1/13/2013-CL-V, Vol.IV]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 250 (E), dated the 31st March, 2014 and last amended vide number G.S.R. 503(E) dated 22nd July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.